Roll No

LLM-12 (Master of Law)

Second Year Examination-2014

LM-107

Judicial Process

Time Allowed: Three Hours

Maximum Marks: 60

Note: This paper is of sixty (60) marks divided into three (03) sections. Learners are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट: यह प्रश्न-पत्र साठ (60) अंकों का है जो तीन (03) खंडों में विभाजित है। शिक्षार्थियों को इन खंडों में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

Section - A / खंड-क

(Long answer type Questions) /(दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न)

Note: Section 'A' contains four (04) long-answer-type questions of fifteen (15) marks each. Learners are required to answer any two (02) questions only. (2×15=30)

- नोट: खंड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पन्द्रह अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
- 1. Critically examine legal development and creativity through legal reasoning in India.

भारत में कानूनी तर्क द्वारा कानूनी विकास और रचनात्मकता की विवेचना कीजिए।

- 2. Examine the notions of judicial review in Indian context.

 भारतीय परिवेश में न्यायिक प्रक्रिया के विन्दुओं (धारणाओं) का परीक्षण करें।
- 3. 'Dharma' provides the constitutional thought and regulate the legal ordering in Indian thought'. Discuss.
 - 'धर्म' संवैधानिक सोच तथा भारतीय सोच में कानूनी आदेश देने को विनियमित करता है। चर्चा करें।
- 4. Discuss the equivalence theories of justice.

न्याय के तुल्यता सिद्धान्तों की चर्चा करें।

Section - B / खंड-ख

(Short answer type Questions) (लघु उत्तरों वाले प्रश्न)

- Note: Section 'B' contains eight (08) short-answer-type questions of five (05) marks each. Learners are required to answer any four (04) questions only. (4×5=20)
- नोट: खंड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरों वाले प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
- 1. Discuss the tools and techniques of creativity.

रचनात्मकता के उपकरणों व तकनीकों की चर्चा करें।

- 2. Explain judicial process and creativity. न्यायिक प्रक्रिया और रचनात्मकता की व्याख्या करें ।
- 3. Explain judicial review and Law making. -यायिक प्रक्रिया और कानून बनाने की प्रक्रिया की व्याख्या करें।
- Discuss Problems of accountability.
 उत्तरदायित्व की समस्याओं पर चर्चा करें ।
- 5. Elaborate distributive theory of Justice. न्याय वितरण सिद्धान्त पर प्रकाश डाले ।
- 6. Discuss the Liberal contratval tradition. उदारवादी अनुवंछित परम्परा की चर्चा करें।
- 7. Explain the relationship between Law and Justice. विधि और न्याय के बीच सम्बन्धों की व्याख्या करें।
- 8. Discuss one care decided by superme court of India which is based on social Justice.

भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तय एक फैसला जो कि सामाजिक न्याय पर आधारित है की समीक्षा करें।

Section - C / खंड-ग

(Objective type Questions) / (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

Note: Section 'C' contains ten (10) objective-type questions of one (01) mark each. All the questions of this section are compulsory. (10×1=10)

नोट : खंड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है । इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Indicate whether the following are true or false: नीचे दिए गए प्रश्नों के केवल हाँ/नहीं में उत्तर दें।

- Judicial Process is not an instrument of social change.
 न्यायिक प्रक्रिया सामाजिक बदलाव का साधन नहीं है ।
- 2. Ratio-decindi is not the basis of Provedent. निर्णयाधार न्यायिक पूर्व निर्णय का आधार नहीं है ।
- 3. Legal reasoning is important in codified system. कानूनी तर्क संहितावाद प्रणाली में महत्वपूर्ण है ।
- 4. Judicial review is available in Indian constitution under Art 13. न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में प्राप्त है।
- 5. Judiciry also make Law in Judical Process. न्यायिक प्रक्रिया में न्यायपालिका भी कानून बनाती है।
- 6. 'Dharma' is not the foundation of Indian Legal Sysem. 'धर्म' भारतीय' कानून व्यवस्था की नींव नहीं है ।
- 7. In Judicial process independence of Judicary is necessary. न्यायिक प्रक्रिया में न्यायपालिका की आजादी जरूरी है।
- 8. Judicial Activism is not Part of Judicial process. न्यायिक सिक्रयता न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।
- 9. Part if of Indian constitution is not based on any theory of Justice. भारतीय संविधान का भाग-तृतीय न्याय के किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं है।
- 10. Part-IV of Indian constitution is based on social and distributive Justice theory.

 भारतीय संविधान का भाग-चतुर्थ सामाजिक एवं वितरणात्मक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है।